

ख  
प

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

04.26 पत्रावली पेश हुई व कुलान पक्षकारान उपर कर्तव्यसय  
के बाद भी जवाब पत्रा नहीं किया। अतः जवाब बन्द  
किया जाता है। उस प्रपत्र से संबंधित श्री मूल दावा  
खारिज किया जा चुका है अतः प्र.पत्र को चलाये  
जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्राथम पत्र प्राची अंतर्गत धारा 212R में  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय  
द्वारा द्वारा जारी शुद्ध अस्थाई विवेचना दिनांक  
05.08.2022 भी निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल हुगार लेकर नंबर सेका हो,  
तथा सैलमन मूल वाद हो।

*he*  
उपखण्ड अधिकारी  
मुसावर (भरतपुर) राज.